भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 668

(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 नवंबर, 2016 को दिया गया)

कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी से कारोबार करने के मामले में सरकार की कार्रवाई

668. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी लिमिटेड कंपनियों पर धोखाधड़ी से कारोबार करने और अनैतिक कार्यप्रणाली का आरोप लगने की स्थिति में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों और कारपोरेट घरानों द्वारा धोखाधड़ी और अवैध खाते/लेन-देन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसे मामलों में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 206 में केन्द्रीय सरकार और कंपनी रजिस्ट्रार को कपटपूर्ण या गैर-कानूनी व्यावसायिक गतिविधियों के आरोपों के मामलों में जांच या निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है और केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 210 के तहत जांच का आदेश भी दे सकती है। वर्ष 2013-14 से दिनांक 31.10.2016 तक मंत्रालय ने कथित रूप से कपट/अनैतिक/अवैध गतिविधियों में लिप्त 390 कंपनियों के कार्यों की गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से जांच के आदेश दिए हैं। इसके ब्यौरें अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(घ): इस मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं –

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 में "धोखाधड़ी" शब्द को परिभाषित किया गया है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट शासन के कठोर मानक बनाए गए हैं और उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है।

(iii) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सांविधिक दर्जा दिया गया है;

(iv) डाटा संचयन और फोरेंसिक लेखापरीक्षा आदि द्वारा धोखाधड़ियों की पूर्व पहचान के लिए तकनीकी को बढ़ाया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 22 नवंबर, 2016 को राज्य सभा में उत्तर देने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 668 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एसएफआईओ को सौंपे गए मामलों का ब्यौरा</u>

वर्ष	एसएफआईओ को सौंपी गई जांचों की संख्या	पूरी की गई जांचों की संख्या	प्रक्रियाधीन जांचों की संख्या	न्यायालयों द्वारा रद्द की गई/रोकी गई जांचों की संख्या
2013-14	83	78	04	01
2014-15	71	49	19	03
2015-16	184	11	172	01
2016-17 (अभी तक)	52	01	50	01
कुल	**390**	**139**	**246**	**06**

*****